प्रति,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय
आरक्षी केन्द्र रतनपुर
जिला – बिलासपुर (छ०ग०)

विषय : मातृका नर्सिंग होम में डॉ. नेहल झा के द्वारा बच्चेदानी का लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन कर सिम्स अस्पताल ले जाने की बात बोलकर सिम्स अस्पताल में मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज करने बाबत्।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मै मुकेश साहू उम्र 21 वर्ष पिता ईश्वर साहू निवासी ग्राम पोडी नवागांव तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर छ०ग० का निवासी हूँ।

यह कि दिनांक 06.06.2026 को मै अपनी माता श्रीमती कुमारी बाई साहू उम्र 50 वर्ष पति श्री ईश्वर साहू निवासी ग्राम पोडी को उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन के लिए मातृका नर्सिंग होम थाना रोड रतनपुर लाया गया वहां मेरे द्वारा नगद 15,000.00 जमा किया उपस्थित डॉ. डा. नेहल झा के द्वारा ऑपरेशन थियेटर ले गया और कुछ समय बाद बी०पी० सही नही होने का बहाना बताते हुए अपने स्वयं के प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा बिना कोई रिफर लेटर के सिम्स भेज दिया गया ये सारी घटनाएं वहां लगे सी सी टी वी कैमरे में कैद है। वहां जब ले गये तो वहां के डॉक्टर बिना रिफर लेटर के बिना जांच में कुछ देरी करते हुए बिना ऑपरेशन थियेटर ले गये देखा गया कि इनका पहले से ही ऑपरेशन कर दिया गया है बताते हुए वहीं कुछ ही मिनटो में उनका मृत्यु हो गया ।

यह कि डॉ. नेहल झा के द्वारा पूर्ण रूप से लापरवाही पूर्वक ईलाज करते हुए जब उनको समझ नही आया तो उनके द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के मुझे एवं मेरी माता को सिम्स भेज दिया गया।

अतः महोदय से निवेदन है कि डा. नेहल झा के ऊपर तत्काल एफ आई आर दर्ज करते हुए परिसर में लगे डी वी आर को जब्त कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनांक : 6/6/2026

आवेदक

Mukesh

मुकेश साहू उम्र 21 वर्ष
पिता ईश्वर साहू निवासी
ग्राम पोडी नवागांव तहसील रतनपुर
जिला बिलासपुर

civilindia.in